-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी अभियान के अंतर्गत बस स्टैंड बांदा पर संयुक्त चेकिंग एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर चलाया गया जागरुकता अभियान।

विवरण– आज दिनांक 07.08.2025 को पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में थाना AHTU, SJPU, चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, ग्रामीण परंपरा विकास संस्थान चित्रकूट एवं साथी यू.पी. संस्था की संयुक्त टीम द्वारा बस स्टैंड बांदा पर बस में सफर कर रहे यात्रियों एवं बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों को मानव तस्करी, बाल श्रम/बाल भिक्षावृत्ति, बच्चा चोरी, जहर खुरानी तथा सरकारी हेल्पलाइन नंबर 112, 1098, 1090, 181 आदि के संबंध में जागरूक किया गया। यात्रियों को पंपलेट के माध्यम से बाल विवाह न करने एवं गांव/मोहल्ले में यदि कोई बाल विवाह हो रहा हो तो इसकी सूचना सरकारी हेल्पलाइन नंबर अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन पर सूचित करने की सलाह दी। बच्चों के साथ सफर कर रहे यात्रियों को बच्चों को अपने पास रखने एवं अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई किसी भी सामग्री को ना खाने की सलाह दी गई। स्टेशन रोड पर मौजूद दुकान/होटल की चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को सिगरेट, बीड़ी, गुटका, तम्बाकू आदि नशीले पदार्थ न बेचने हेतु निर्देशित किया गया। आसपास के दुकानदारों एवं आम जनमानस को बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) से बाल श्रम न कराने हेतु जागरूक किया गया एवं हिदायत दी गई कि यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार बच्चों से बाल श्रम करते हुए पाया गया तो उपरोक्त व्यक्ति/दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अभियान के दौरान निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं संस्थान प्रतिनिधि उपस्थित रहे- SJPU कार्यालय से निरीक्षक अखिलेश प्रताप सिंह, महिला आरक्षी प्रियंका चौधरी थाना AHTU से उप निरीक्षक अनिल कुमार उपाध्याय आरक्षी प्रशांत यादव, चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा से आकाश यादव, ग्रामीण विकास परंपरा संस्थान चित्रकूट से शिवम यादव, साथी यू.पी. संस्था से प्रमोद तिवारी उपस्थित रहे।